न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी ....

वाद सं०–100 / 18

धारा–107 द०प्र०सं०

सुरेश भगत ....प्रथम पक्ष

बनाम

दशरथ उराँव वगै०..................द्वितीय पक्ष

तिथि	आदेश
23/09/2019	प्रस्तुत वाद थाना प्रभारी, बुण्डू के अप्राथमिकी संख्या–21 / 18 दिनांक–25 / 07 / 2018 के द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर धारा–107 द0प्र0सं0 के तहत कार्रवाई प्रारंभ की गई। यह विवाद मौजा–बुण्डू, रिवीजनल सर्वे खेवट संख्या–02 खाता संख्या–01,प्लॉट नं०–5750 रकबा–2.32 एकड़ मध्ये रकबा–1.62 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से धान का बीज लगाने को लेकर उत्पन्न हुआ है। प्रस्तुत वाद मे उभय पक्षो के द्वारा कारण पृच्छा समर्पित किया गया है, जिसमें एक दूसरे पर शांति भंग करने से संबंधित आरोप लगाया गया है। प्रथम पक्ष गवाह :– छोटे कुम्हार, पिता–स्व० दीना कुम्हार ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण मे बयान दिया है कि विवाद खेती को लेकर है। खेती वाला जमीन बुण्डू मौजा मे है। थाना–बुण्डू है। विवादित जमीन मे, मैं अधबटाईदार के रूप में खेती करता था। विवदित जमीन में जाने से दशरथ उरांव और जयपाल उराव से खतरा है। विवादित जमीन को लेकर दिलीप चक्रवर्ती दशरथ उरांव को केस किया है। इसे मैं जानता हूँ। द्वितीय पक्ष को टाईटल सूट केस किया है। सुरेश भगत और दशरथ उराँव का झगड़ा खेत में बिड़ा रखने के समय हुआ था। उसके बाद झगड़ा नहीं हुआ है। प्रथम पक्ष पार्टी गवाह:– सुरेश भगत, पिता–स्व० सत्यनारायण भगत ने अपनी गवाही के परीक्षण एव प्रतिपरीक्षण मे बयान दिया है कि द्वितीय पक्ष के ऊपर 24 / 07 / 18 को थाना में F.I.R किया था। मेरा खेत में द्वितीय पक्ष जबरजस्ती धान का बीज डाल रहा था। इसलिए मैंने केस किया था। मेरा द्वितीय पक्ष से अभी भी खतरा है। ऐसी बात नहीं है कि द्वितीय पक्ष आदिवासी है। यह समझकर बेवजह परेशान करने के लिए मैंने यह केस किया है। द्वितीय पक्ष गवाह संख्या–1:– नन्दलाल उराँव, पिता–स्व० छोटू उराँव ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि प्रथम पक्ष के साथ दशरथ उराँव का कभी झगड़ा नही हुआ है। प्रथम पक्ष सुरेश भगत का द्वितीय पक्ष दशरथ उरांव वगैरह से किस चीज को लेकर झगड़ा–झंझट है मैं नही जानता हूँ। द्वितीय पक्ष गवाह संख्या–2:– भरत उराँव, पिता–स्व० रोहिना उराँव ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि विवादित जमीन में किसी तरह का झगड़ा–झंझट नही हुआ है। विवादित जमीन द्वितीय पक्ष के लोगों का है। उसके बाप–दादा के समय से वे लोग खेती करते है। द्वितीय पक्ष पार्टी गवाह:– दशरथ उराँव पिता–स्व० सुकरा उराँव ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण मे बयान दिया है कि सुरेश भगत ने वाद दायर किया है। जमीन को लेकर मारपीट नहीं हुआ है। विवादित जमीन को लेकर दिलीप चक्रवर्ती के साथ टाईटल सूट चल रही है। जमीन विवाद को लेकर 2018 में थाना गया था। घटना की तिथि और दिन याद नहीं है। विवाद का कारण खेत में धान के बीज रखने से है। टाईटल सूट नं०–48 / 2018 में रॉची के व्यवहार न्यायालय मे मै हाजिर हुआ हूँ। कब हुआ हूँ मुझे तारीख याद नहीं है। सुरेश भगत ने मुझे कोई धमकी नहीं दी है। वाद मे प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन, उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा, गवाहों की गवाही एवं विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने से यह स्पष्ट होता है कि यह विवाद प्रश्नगत भूमि पर परस्पर दावेदारी को लेकर उत्पन्न हुआ है, जो कि सक्षम न्यायालय मे

तिथि	आदेश	
	विचाराधीन भी है। वर्त्तमान में शांति–व्यवस्था कायम है। द्वितीय पक्ष को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में भी शांति व्यवस्था बनाये रखे। बाद में अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 11/10/19 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) 11/10/19 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)	

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2022.07.19 12:01:07 +05:30
Location: 10.93.79.5